फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) भीण्डर, उदयपुर

र्थी :– प्रताप कुंवर — विपक्षी :– शंकरलाल

किस्म मुकदमा – 188 रा.का.अधि. — पत्रावली संख्या : 10/21

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 12.10.2023	

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में वादी व प्रतिवादीगण मय अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 03 सपठित धारा 151 जा.दि. का पेश कर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी राजीमाना हो जाने से पेश किया गया था। प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा आपसी राजीनामा हो जाने से वाद को राजीनामा अनुसार स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा हो चुका है। वादी एवं प्रतिवादीगण वाद को राजीनामा अनुसार डिक्री कराना चाहते है। वादी एवं प्रतिवादीगण की पहचान उनके अधिवक्ता द्वारा की गई। प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त नवीन खसरा संख्या 321 क्षेत्रफल 0.2500 हैक्टेयर वादीया के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य का है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 से 3 कोई हक हिस्सा अधिकार नहीं है तथा वादग्रस्त नवीन खसरा संख्या 322 क्षेत्रफल 0.3600 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य का है जिसमें वादीया को कोई हक हिस्सा अधिकार नहीं है तथा इसी अनुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हमने वादी के वाद पत्र के अध्ययन से यह पाया कि वादी द्वारा एक वाद स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् पेश किया गया था जिसमें वादी द्वारा आराजी नंबर 85/8 (पुरानी) जिसके नये आराजी नंबर 321 में व आराजी नंबर 85/11 (पुरानी) जिसके नये आराजी नंबर 322 की पूर्वी सीमा में प्रवेश को लेकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया गया था। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो जाने से राजीनामा प्रस्तुत किया जिसमें वादग्रस्त नवीन खसरा संख्या 321 क्षेत्रफल 0.2500 हैक्टेयर वादीया के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य का है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 से 3 कोई हक हिस्सा अधिकार नहीं है तथा वादग्रस्त नवीन खसरा संख्या 322 क्षेत्रफल 0.3600 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य का है जिसमें वादीया को कोई हक हिस्सा अधिकार नहीं है तथा इसी अनुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने से वाद आपसी राजीनामा अनुसार स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप वाद वादीगण आपसी राजीनामा अनुसार स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा लुणदा पटवार हल्का लुणदा तहसील कानोड की आरजी नंबर 321 रकबा 0.2500 हैक्टेयर वादीया के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का कोई हक हिस्सा अधिकार नहीं है एवं आराजी नंबर 322 रकबा 0.3600 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 सें 3 के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की है जिसमें वादीया को कोई हक हिस्सा अधिकार नहीं है । डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Parvat Singh Chundawat
Date: 2023.12.14 17:06:28 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय सुनाया गया।

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री पर्वत सिंह चुण्डावत, R.A.S

उनवान

1. श्रीमती प्रताप कुवंर पत्नि मनोहरसिंह राजपूत निवासी लूणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।

..................वादीया

बनाम

1. श्री शंकरलाल पिता स्व. बाबरू तेली निवासी लूणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज।
2. श्री गोपीलाल पिता स्व. बाबरू तेली निवासी लूणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज।
3. श्री हेमराज पिता स्व. बाबरू तेली निवासी लूणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज।

.............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 10/21 (वाद) GCMS No. – 2021/791

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु श्री पर्वत सिंह चुण्डावत, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वाद वादीगण आपसी राजीनामा अनुसार स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा लुणदा पटवार हल्का लुणदा तहसील कानोड की आरजी नंबर 321 रकबा 0.2500 हैक्टेयर वादीया के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का कोई हक हिस्सा अधिकार नहीं है एवं आराजी नंबर 322 रकबा 0.3600 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 सें 3 के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की है जिसमें वादीया को कोई हक हिस्सा अधिकार नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Parvat Singh Chundawat
Date: 2023.12.14 17:06:28 IST
Reason: SelfAttested

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 12.10.2023 को जारी की गई।